

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
ध्यानाकर्षण: सुश्री रेहाना डीसूजा, सहायक उपाध्यक्ष	ध्यानाकर्षण: श्री अय्यर गोपालकृष्णन, जीएम, कॉर्पोरेट सेवा

विषय: बोर्ड बैठक का आउटकम- सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना

महोदय/महोदया,

दिनांक 21.03.2018 के हमारे पूर्ववर्ती पत्र के अनुक्रम में, हम आपको सूचित करते हैं कि पावर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज अर्थात् 26 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ संसाधनों के जुटाव अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक से अधिक ट्रांचों/शृंखलाओं में विभिन्न डेब्ट सेगमेंटों के अंतर्गत बाजार ऋण कार्यक्रम के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया है।

क्र. सं.	स्रोत	राशि (करोड़ रुपए में)
1	दीर्घावधि ऋण (रुपए): पुट विकल्प के साथ/बिना 30 वर्ष तक की अवधि के लिए भौतिक और/या डिमेट रूप में सावधि ऋण और दीर्घावधि करयुक्त/करमुक्त बॉण्ड के पब्लिक/प्राइवेट प्लेसमेंट, स्थायी/ शोध्य, प्रतिभूत/अप्रतिभूत, संचयी/गैर-संचयी, गैर-परिवर्तनीय इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/जीरो कूपन बॉण्ड/अधीनस्थ बॉण्ड/ मुद्रास्फीति सूचकांक बॉण्ड/ 54ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ बॉण्ड/ अन्य बॉण्ड तथा जो एनएसई और/या बीएसई में सूचीबद्ध हों - इस सीमा से वर्ष के दौरान जुटाई एवं पूर्व भुगतान की गई दीर्घावधि निधियाँ शामिल न की जाएँ।	20,750
2	दीर्घावधि विदेशी मुद्रा ऋण ऋण/बॉण्ड/नोटों/एफ़सीएनआर(बी) ऋण या विदेशों में जारी किए गए रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड/नोटों सहित कोई अन्य इन्स्ट्रूमेंट के रूप में (1 यूएसडी= 65 रुपए की दर से 2.5 बिलियन यूएसडी)	16,250
3	अल्पावधि ऋण: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी समय बकाया अल्पावधि ऋण/वाणिज्यिक पेपर/आईसीडी/एफ़सीएनआर(बी)। इस सीमा से वर्ष के दौरान जुटाई एवं पूर्व भुगतान की गई अल्पावधि निधियाँ शामिल न की जाएँ।	20,000
	कुल	57,000

क) सभी फंक्शनल निदेशकों की सिफारिशों पर 57,000 करोड़ रुपए की समग्र सीमा के भीतर उपर्युक्त विवरण के अनुसार विभिन्न स्रोतों में से राशि की अंतर-परिवर्तनीयता का अनुमोदन प्रदान करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी को प्राधिकृत किया गया है।

ख) उक्त बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उपर्युक्त बाजार ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर वास्तविक रूप से निधियाँ जुटाई जाएंगी।

बोर्ड बैठक अपराह्न 2.30 को शुरू होकर सायं 4.15 बजे समाप्त हुई।

आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय
कृते पावर फ़ाइनेंस कांर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com